

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,

उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।

3. कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2021

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु (शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020, शासनादेश संख्या-1124/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2020, शासनादेश संख्या-350/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या-403/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 26.03.2021, शासनादेश संख्या-481/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 06.05.2021, शासनादेश संख्या-556/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 14.06.2021, शासनादेश संख्या-625/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 28.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-784/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 03.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 17.11.2020, 31.12.2020, 19.03.2021, 26.03.2021, 06.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021 एवं 03.08.2021 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक शिक्षा सत्र-2021-22 में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु विशेष परिस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है:-

क्र० सं०	कार्यवाही	संशोधित समय-सारणी
1.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	30 सितम्बर, 2021 तक।
2.	संस्था द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु आवेदन किया जाना।	
3.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	
4.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	04 अक्टूबर, 2021 तक।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	07 अक्टूबर, 2021 तक।
6.	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	09 अक्टूबर, 2021 तक।
7.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	11 अक्टूबर, 2021 तक।

4- इस संबंध में समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से अनुरोध है कि कृपया व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया की सुविधा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करें और साथ ही संबंधित महाविद्यालय से कार्ययोजना भी प्राप्त करेंगे कि महाविद्यालय प्रथम सेमेस्टर के लिए निर्धारित 90 शिक्षण दिवस किस प्रकार (ऑनलाइन तथा ऑन कैम्पस मोड) को मिलाते हुए पूर्ण करेंगे ताकि शासनादेश संख्या-1275/सत्तर-1-2021-16(11)/2014 टी0सी0-11 दिनांक 09.09.2021 द्वारा जारी किये गये शैक्षिक कैलेंडर के अनुरूप मिड-टर्म एवं सेमेस्टर परीक्षायें समय से सम्पन्न करायी जा सकें।

कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(शमीम अहमद खान)  
सचिव।

संख्या-984(1)/सत्तर-2-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)  
सचिव।

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प(सा0प्र0)/5000/2021

दिनांक: 20 सितम्बर, 2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,  
बलिया।

विषय: शैक्षिक सत्र 2021-22 के सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इच्छुक महाविद्यालय शासनादेश के अनुपालन में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

उप कुलसचिव

20/9/21